क्रम संख्या–11 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 फरवरी, 2023 ई0

फाल्गुन 04, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 49/XXXVI (3)/2023/63(1)/2022

देहरादून, 23 फरवरी, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 21 फरवरी, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 02, वर्ष–2023** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 18 का संशोधन

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख में अनुच्छेद 18 (विक्रय प्रमाणपत्र) में "उचित स्टाम्प–शुल्क" से सम्बन्धित स्तम्भ में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

"वही शुल्क जो केवल क्रय–धन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण पत्र {संख्या 23 खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) जैसी भी स्थिति हो} पर लगता है।"

आज्ञा से,

शमशेर अली,
अपर सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

चल सम्पत्ति की नीलामी द्वारा विक्रय सम्बन्धी लिखतों तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2(10) "हस्तान्तरण–पत्र" के अन्तर्गत उल्लिखित चल सम्पत्ति के विक्रय सम्बन्धी लिखतों पर एक समान शुल्क प्रभार्य किये जाने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।